# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2020

उनवान

1. बदी पत्नि सुखलाल जाति भील निवासी अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा ।

—: वादी

**बनाम**

1. माणकी पत्नि वेस्ता जाति भील निवासी अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

दिनांक 06.5.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 01 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 390 नया, के खसरा संख्या 2651 रकबा 0.08 हे. भूमि पटवार हल्का अरथूना के मौजा अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा में स्थित है। उक्त भूमि वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 01 द्वारा श्री कन्हैयालाल पिता परतीया दर्जी जाति दर्जी निवासी अरथूना जिला बांसवाडा से किमतन क्रम किया व उप पंजीयक गढ़ी द्वारा दिनांक 20.7.2016 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 26 पृष्ठ संख्या 33 क्रम संख्या 201603368101724 पर पंजीबद्ध किया गया। तभी से वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 01 उक्त भूमि उपयोग–उपभोग करती आ रही है। उक्त खाते में वादीया 1/2 भाग एवं प्रतिवादिया संख्या 01 1/2 भाग हिस्से के खातेदार कृषक है। वादीया अपने हिस्से की भूमि पर लोन लेकर भूमि का विकास करना चाहती है। इसलिए वादीया द्वारा प्रतिवादीया संख्या 01 को आपसी सहमती सेविधिवत् बटवारे हेतु कहा तो प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुए और लडाई झगड़ा करने लगे। जिस कारण वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री पवन लुहार अभिभाषक का वकालत नामा पेश किया गया। जवाब हेतु नियम की जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब पेश होकर प्रकरण में वादबिंदु कायम की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत किया जाकर वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई। पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत वाद संलग्न दस्तावेजो एवं प्रतिवादी संख्या 01 के जवाब का संक्षिप्त अवलोकन कर तनकिवार निर्णय निम्नानुसार है:-

**तनकी संख्या 01**:-आया वादीया वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार होने से, तथा उनके काश्त में उत्पन्न हो रही बाधा की वजह से उक्त भूमि का रिकार्ड अनुसार बटवारा करवाने की अधिकारी है। (वादी साबित करे)

वादीया द्वारा अपने वाद संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व अभिलेख (जमाबंदी) संवत 2074 से 2074 की खाता संख्या 360, खसरा संख्या 2651 रकबा 0.08 हे. भूमि वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 01 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादिया की खातेदारी भूमि होने से बटवारे की हकदार है। किन्तु न्यायालय द्वारा उक्त खाते की हाल जमाबन्दी प्राप्त की जाने पर ज्ञात आया की खातेदारान् द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में से 0.02 हे. भूमि का आशा पत्नि नितेश सुथार को बेचान कर दिया जाकर नामान्तरण 1121 दिनांक 30.9.2021 को दर्ज हुआ। तथा शेष भूमि का नविन खसरा संख्या 3240/2651 है। हाल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के अवलोकन से यह साबित होता है कि खतेदारान् द्वारा वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि का बेचान कर दिया गया है। तथा वादीया यह तथ्य छिपाकर न्यायालय से बटवारा कराना चाहती है। वादीया का वादग्रस्त सर्वे नम्बर 2651 हाल जमाबंदी से मेल नहीं खाने से उक्त तनकी वादीया के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 02**:-आया वादीया द्वारा वर्णित भूमि के संबंध में इसी न्यायालय में अन्य प्रकरण "मावजी बनाम कन्हैयालाल" विचाराधीन होने से तथा वादीया का उक्त भूमि पर कोई कब्जा न होने से वाद काबिल निरस्ती है। (प्रतिवादी संख्य 01 साबित करे)

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीया का कब्जा नहीं है। तथा इसका वाद इसी न्यायालय में उनवान "मावजी बनाम कन्हैयालाल" विचाराधिन है। प्रतिवादीया संख्या 01 के द्वारा उक्त वाद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। न्यायालय द्वारा स्वयं उक्त वाद उनवान "मावजी बनाम कन्हैयालाल" का अवलोकन किया तो पाया की वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधिन है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 03**:-आया वादीया द्वारा उक्त भूमि के संबंध में फर्जी रजिस्ट्री करवाई जाने से वाद काबिल निरस्ती है। (प्रतिवादी संख्य 01 साबित करे)

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया गया है कि वादीया द्वारा फर्जी तरिके से रजिस्ट्री कराई गई है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

**तनकी संख्या 04 अनुतोषः**—तनकी संख्या 01 व 02 वादीया के विरूद्ध तथा तनकी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णित होकर अधित तनकीया वादीया के विरूद्ध निर्णित की गई है।

वादीया द्वारा पटवार हल्का अरथूना के मौजा अरथूना की खाता संख्या 390 नया, के खसरा संख्या 2651 रकबा 0.08 हे. भूमि का बटवारा कराने हेतु वाद पेश किया है। वादग्रस्त भूमि में से 0.02 हे0 भूमि किस्म–आबादी दर्ज रिकार्ड है। जिसका वादीया द्वारा वाद दर्ज होने के उपरान्त बेचान कर दिया गया हैं। तथा शेष भूमि का नविन खसरा संख्या 3240/2651 दर्ज हुआ हैं। वादीया द्वारा यह तथ्य न्यायालय से छिपाया गया है तथा नविन खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। लिहाजा वादीया का वाद वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(श्रवण सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
**उपखण्ड अधिकारी**
**गढ़ी, जिला बांसवाड़ा**

**<u>आदेश</u>**

वादीया की ओर से प्रस्तत वाद वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.5.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
**उपखण्ड अधिकारी**
**गढ़ी, जिला बांसवाड़ा**

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : श्रवण सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 01/2020

**उनवान**

1. बदी पत्नि सुखलाल जाति भील निवासी अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा ।

—: वादी

**बनाम**

1. माणकी पत्नि वेस्ता जाति भील निवासी अरथूना तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

दिनांक 06.5.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 06.5.2025 को जारी की गई।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

| मुदई | रूपया पैसा | मुद्दवायलह | रूपया पैसा |
|---|---|---|---|
| स्टाप की अरजी दावा | शून्य | स्टाम्प वकालतनामा | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य |
| स्टाम्प वहज सबुत | शून्य | मेहनतनामा वकील | शून्य |
| मेहनतनामा वकील | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य |
| बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | मुतफरीक | शून्य |
| मुतफरीक | शून्य | | |
| कुल | शून्य | कुल | शून्य |

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.06.05 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner